

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक

11.10.2021

प्रकरण संख्या
203/2021

उनवान

1. सपना पत्नी सुरेश जैन जाति जैन आयु वयस्क निवासी 5 बी0 शान्ति कुंज, गली नम्बर 5 वर्धमान कॉलोनी भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. शंकर लाल पिता मूला गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गाडरी खेड़ा गांधी नगर भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. डालचन्द पिता मूला गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गाडरी खेड़ा गांधी नगर भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. प्यारी बेवा मूला गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गाडरी खेड़ा गांधी नगर भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

विपक्षीगण

उपस्थित:- अधिवक्ता प्रार्थी मांगी लाल जी सेन
अधिवक्ता विपक्षी मनोहरलाल बुनकर

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :-

-: निर्णय :-

दिनांक 26/03/2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ग्राम पांसल प0ह0 पांसल भू0अ0नि0 पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 3440/1 क्षेत्रफल 1 बीघा 09 बिस्वा यानि 0.3667 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रतिवादीगण की ग्राम पांसल प0ह0 पांसल भू0अ0नि0 पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर की आराजी नम्बर 3440/2 क्षेत्रफल 1 बीघा 08 बिस्वा यानि 0.3541 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है। उपरोक्त अराजियात का मूल नम्बर 3440 का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा था, जो विभाजन से 1/2 हिस्सा पेमा पिता खेमा का एवं 1/2 हिस्सा शंकरलाल, डालचन्द पिता मूला एवं प्यारी बेवा मूला के नाम था। प्रार्थीया ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 2.3.2012 से आराजी नम्बर 3440/1 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया राजस्व रेकार्ड में क्रय शुदा भूमि दर्ज की गई। जमाबन्दी में उक्त भूमि बराबर दर्ज है किन्तु राजस्व नक्शे में उक्त

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

भूमि मौके पर कब्जे अनुसार नक्शे में तरमीम सही नहीं है जिसे दुरुस्त कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।


3440/2 अंकित करने एवं आराजी नम्बर 3440/1 प्रतिस्थापित है उसे निरस्त कर प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आराजी नम्बर 3440/2 नक्शे में जिस स्थान पर प्रति स्थापित है 2073-2076 की पेश की एवं आराजी नम्बर 3440/1 दुरुस्ती करायी जाने की प्रार्थना की गई है। एवं आराजी नम्बर 3440/2 विपक्षी संख्या 01 से 03 के नाम दर्ज रेकार्ड है। राजस्व नक्शा 3440/1 व 3440/2 की फोटो प्रति प्रस्तुत की है।

विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 ने राजीनामा प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2022 को प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 3440/1 की जो तरमीम की गई है उसके बजाय 3440/2 तरमीम करने एवं आराजी नम्बर 3440/2 की जो तरमीम की गई है उसके बजाय 3440/1 तरमीम करते हुए राजस्व नक्शे में दुरुस्ती करने में सहमति प्रकट की है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136-131 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 की और से प्रस्तुत राजीनामा का अध्ययन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति परीक्षण किया गया। प्रार्थीया ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 3440/1 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि की खातेदार दर्ज रेकार्ड है एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 आराजी नम्बर 3440/2 क्षेत्रफल 1 बीघा 08 बिस्वा भूमि के खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया की आराजी नम्बर 3440/1 क्षेत्रफल 1 बीघा 09 बिस्वा की राजस्व नक्शे में तरमीम आराजी नम्बर 3440/2 में कर दी गई इसी प्रकार आराजी नम्बर 3440/2 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा भूमि जो विपक्षीगण की है जिसे राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 3440/1 तरमीम दर्ज कर दी गई इस प्रकार आराजी नम्बर 3440/1 व 3440/2 की राजस्व नक्शे में तरमीम सही नहीं की गई जिसे विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 के राजीनामा प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व नक्शे में दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं प्रार्थीया के एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 के मौके पर कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।
अतः एवं

:: आदेश ::


प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136-131 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 3440/1 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि जो राजस्व नक्शे में तरमीम शुदा है जिसे दुरुस्त करते हुए 3440/1 के स्थान पर आराजी नम्बर 3440/2 राजस्व नक्शे में तरमीम करे, एवं आराजी नम्बर 3440/2 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा भूमि जो राजस्व नक्शे में तरमीम शुदा है जिसे दुरुस्त करते हुए आराजी नम्बर 3440/2 के



उपखण्ड अधिकारी
नीलवाड़ा

स्थान पर आराजी नम्बर 3440/1 राजस्व नक्शे में तरमीम करे। उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम दुरुस्ती से प्रार्थीया के एंव विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 के मौके पर कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नही होगा। तहसीलदार भीलवाडा उपरोतानुसार राजस्व नक्शे में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 26 मार्च 2024 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया


(~~ग. ह. निवर्ति~~ निवर्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा